



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 1474 सन् 2026

दुर्गेश कुमार सिंह

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

..... उत्तरदातागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : उमा नाथ पाण्डेय

उत्तरदाता के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री उमा नाथ पाण्डेय और राज्य-उत्तरदाताओं की ओर से प्रस्तुत होने वाले विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव को सुना।
2. इस न्यायालय ने 03.02.2026 को विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता को निर्देश प्राप्त करने का निर्देश देते हुए इस याचिका पर विचार किया और उसके बाद मामले को आज के लिए निर्धारित किया गया। विद्वान अतिरिक्त मुख्य विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव द्वारा निर्देश प्रदान किए गए हैं, जो प्रस्तुत करते हैं कि वह निर्देशों से अच्छी तरह सुसज्जित हैं और रिट याचिका के निस्तारण के लिए निर्देश आत्मनिर्भर हैं और वह आगे कोई शपथपत्र दायर करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं और याचिका का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए। इस प्रकार पक्षों की सहमति से, रिट याचिका पर नए चरण में ही निर्णय लिया जा रहा है।
3. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसका चयन और नियुक्ति 30.10.1999 को विकासखंड - सदर, जिला चंदौली में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर की गई थी, इसके बाद उसे वर्ष 2008 में विकासखंड सदर से विकासखंड बड़हानी में स्थानांतरित कर दिया गया और वर्ष 2016 में उसे फिर से विकासखंड सकलडीहा में स्थानांतरित कर दिया गया। उसे 27.05.2022 को 1991 की नियमावली के प्रावधानों के अधीन सहायक विकास अधिकारी (उद्योग सेवा और व्यवसाय) के पद पर पदोन्नत किया

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

गया। रिट याचिकाकर्ता ने चंदौली जिले के मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष अपना कार्यभार ग्रहण किया, जहां वह 30.05.2023 तक सहायक विकास अधिकारी के रूप में काम कर रहा था और उसके बाद उसे 26.05.2023 को चंदौली से वाराणसी स्थानांतरित कर दिया गया और रिट याचिकाकर्ता द्वारा 01.06.2023 को कार्यभार ग्रहण किया गया। रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, जिला विकास अधिकारी, चंदौली द्वारा दिनांक 02.05.2025 को जिला विकास अधिकारी, वाराणसी को एक पत्र भेजा गया था जिसमें अनुरोध किया गया है कि वह रिट याचिकाकर्ता को विकासखंड सकलडीहा, जिला चंदौली में पोस्टिंग की अवधि की लेखा-परीक्षण आपत्तियों को हटाने के संबंध में कदम उठाने का निर्देश दें। इसके बाद जिला विकास अधिकारी, वाराणसी ने 20.05.2025 को रिट याचिकाकर्ता को एक नोटिस जारी किया, जिसके द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी, चंदौली द्वारा पारित आदेश का पालन करने का निर्देश जारी किया गया था, जिसमें लेखा-परीक्षण आपत्ति को नोटिस प्राप्त होने के बाद हटाने के लिए कहा गया था, रिट याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसने वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2021-22 तक संबंधित विकासखंड सकलडीहा की ग्राम पंचायत के संबंध में लेखा-परीक्षण आपत्ति को हटाने के लिए कदम उठाए हैं। रिट याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने दिनांक 24.05.2025, 22.11.2025 और 13.11.2025 की लेखा-परीक्षण आपत्तियों को हटाने के लिए दस्तावेज जमा किए हैं। इसके बाद 03.11.2025 को, मुख्य विकास अधिकारी, चंदौली द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी को लेखा-परीक्षण आपत्तियों को हटाने के लिए कदम नहीं उठाने के लिए रिट याचिकाकर्ता के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए एक पत्र भेजा गया और उसी के आधार पर, अब रिट याचिकाकर्ता को निलंबित करते हुए 12.01.2026 को जो कि 13.01.2025 के रूप में गलत तरीके से टाइप किया गया आदेश पारित किया गया।

4. उसी पर सवाल उठाते हुए, रिट याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।
5. आदेश पारित होने के बाद, आज आयुक्त, ग्राम विकास, उत्तर प्रदेश के हस्ताक्षर के अधीन निर्देश दिनांक 13.02.2026 अग्रेषित किए गए हैं, जिसे अभिलेख पर लिया गया है और परिशिष्ट 'ख' के रूप में चिह्नित किया गया है।
6. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि निलंबन आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। निवेदन यह है कि जैसे ही रिट याचिकाकर्ता को लेखा-परीक्षण आपत्तियों को हटाने के लिए दस्तावेज जमा करने के बारे में नोटिस दिया गया, रिट याचिकाकर्ता ने इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए, रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, दिनांक 02.05.2025 को एक पत्र जारी होने के बाद, 20.05.2025 को रिट याचिकाकर्ता को एक नोटिस जारी किया गया था, जिस पर रिट याचिकाकर्ता ने लेखा-परीक्षण आपत्ति को हटाने से संबंधित कागजात प्रस्तुत करते हुए अपना जवाब प्रस्तुत किया जो कि अनुलग्नक-5 के रूप में रिट याचिका में संलग्न हैं, और उस संबंध में इनकी प्रक्रिया दिनांक 24.05.2025 से शुरू हुई थी।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

निवेदन यह है कि निलंबन आदेश अभिलेख पर उपलब्ध आरोपों और दस्तावेजों की सत्यता में जाने के बिना पारित किया गया है, विशेष रूप से, जब अभिलेख पर पर्याप्त दस्तावेज उपलब्ध थे जो यह प्रदर्शित कर सकते थे कि उन्होंने सभी दस्तावेज जमा किए थे जो उनके हाथ में थे, जो आपत्तियों को हटाने के लिए प्रस्तुत किए जा सकते थे। उन्होंने आगे कहा कि आक्षेपित निलंबन आदेश बहुत ही साधारण तरीके से पारित किया गया है, और वह भी ऐसे कुछ आरोपों के आधार पर जो पूरी तरह से आस्तित्व में ही नहीं हैं।

7. श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने दिनांक 18.02.2026 के निर्देशों के आधार पर प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता को चंदौली में अधिकारी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर निलंबित कर दिया गया है, विशेष रूप से, जब आरोप रिट याचिकाकर्ता की चंदौली में तैनाती से संबंधित थे और लेखा-परीक्षण आपत्तियों को हटाने के लिए 9 पत्र भेजे गए थे, लेकिन याचिकाकर्ता ने इसे नहीं हटाया।

8. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेख का ध्यान से अवलोकन किया है।

9. जाहिर है, रिट याचिकाकर्ता सहायक विकास अधिकारी है। उसकी सेवाएं उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) नियमावली, 1999 के प्रावधानों के अधीन विनियमित हैं। रिट याचिकाकर्ता का यह मामला नहीं है कि उसे उस प्राधिकारी द्वारा निलंबित कर दिया गया है जो सक्षम नहीं है। याचिकाकर्ता को निलंबित करने के लिए उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप याचिकाकर्ता को विकास खंड सकलडीहा, जिला चंदौली में ग्राम विकास अधिकारी के रूप में तैनात करने से संबंधित हैं, जिसमें याचिकाकर्ता को इस तरह के पत्र जारी किए जाने के बावजूद, जब उसे लेखा-परीक्षण आपत्ति को हटाने के लिए वाराणसी में स्थानांतरण के परिणामस्वरूप तैनात किया गया था, याचिकाकर्ता ने लेखा-परीक्षण आपत्ति को दूर नहीं किया। यद्यपि याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि पहली बार, वह 20.05.2025 को लेखा-परीक्षण आपत्ति को हटाने के बारे में जान सका था और उसके बाद याचिकाकर्ता ने उक्त आपत्तियों को हटा दिया और याचिकाकर्ता के अनुसार, उसका उल्लेख पेपर बुक के पृष्ठ 50 पर किया गया है, जो कि जिला पंचायतराज अधिकारी, चंदौली का दिनांक 11.06.2025 का एक पत्र है, यद्यपि, इस न्यायालय को इस मुद्दे पर एक निश्चित निष्कर्ष देते समय मामले के उक्त पहलू पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा आपत्तियों को हटाने के लिए प्रस्तुत किए गए दस्तावेज पर्याप्त थे या नहीं। निलंबन आदेश से जो स्पष्ट है वह मुख्य विकास अधिकारी, चंदौली का दिनांक 03.11.2025 का एक संचार है जिसमें आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता ने लेखा-परीक्षण आपत्तियों को हटाने के लिए स्पष्टीकरण नहीं दिया है और दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं।

10. अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इस न्यायालय को तथ्यान्वेषी जांच करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि यहाँ प्रासंगिक बात यह होगी कि क्या नियुक्ति/अनुशासनात्मक प्राधिकारी के पास निलंबन का निर्णय लेने

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

हेतु पर्याप्त सामग्री उपलब्ध थी, ताकि याचिकाकर्ता को निलंबित करने या न करने का निर्णय लिया जा सके।

11. स्पष्ट रूप से और सरलता से, निलंबन आदेश में कहा गया है कि नियुक्ति प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता को इस आरोप पर निलंबित कर दिया था कि पत्र लिखे जाने के बावजूद लेखा-परीक्षण आपत्ति को हटाया नहीं गया था। यह नहीं कहा जा सकता है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी के पास कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी।

12. प्रतिरोध में इस तरह की दी गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए, प्रथम दृष्टया, इस न्यायालय को याचिकाकर्ता को निलंबित करने में कोई अवैधता नहीं लगती है। तदनुसार, हस्तक्षेप को अस्वीकार किया जाता है।

13. इस न्यायालय ने पाया कि 17.02.2026 को याचिकाकर्ता को आरोपपत्र जारी किया गया है।

14. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता को पहले से ही एक आरोप पत्र जारी किया गया है, जिसे निर्देशों के पृष्ठ -17 पर संलग्न किया गया है, निर्देशों की एक प्रति रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को दी जाए।

15. दिनांक 17.02.2026 के आरोप पत्र की तामील को आज की तिथि का मानते हुए, अनुशासनात्मक प्राधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वे आज से तीन महीने की अवधि के भीतर अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त करें, याचिकाकर्ता अनुशासनात्मक कार्यवाही में सहयोग करेगा और यदि अनुशासनात्मक कार्यवाही में याचिकाकर्ता के सहयोग के बावजूद, जांच की कार्यवाही तीन महीने की अवधि के भीतर समाप्त नहीं होती है, तो याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल कर दिया जाएगा।

16. याचिकाकर्ता को नियमों के पालन के अधीन निर्वाह भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

17. तदनुसार, रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

फरवरी 19, 2026

आशु

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"